

09.12.22

पत्रावली पेश हुई

प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद में कोई कार्रवाई नहीं होने पर अदत हाजरी व अदत पेशी में खारिज किया जा चुका है।

अतः मूल वाद के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने से

आवेदन भी इसी स्तर पर अदत हाजरी व अदत पेशी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुधार होकर दाखिला दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

